न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –26 / 2025

अनवान

राजेश पिता श्री घासीलाल जी, जाति माली. आयु 43 वर्ष, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पुत्र घासी जाति माली, आयु बालिग निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. देवीलाल पुत्र घासी जाति माली, आयु बालिग निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।
3 मन्नालाल पुत्र घासी, जाति माली, आयु बालिग निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहबे रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री पराग त्रिपाठी प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खाते व स्वामित्व की कृर्षि आराजियात ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 137, पुराना 139 की खसरा संख्या 293, 296, 297, 549, 550, 551, 552, 553 कुल किता 08 कुल रकबा 7.4000 हेक्टर स्थित है, श्रीमान की जानकारी हेतु जमाबंदी सम्वत् 2076–79 व नक्शा ट्रेस की नकल साथ में संलग्न है। मुझ प्रार्थी के पिता घासी के नाम कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात थी, उनके स्वर्गवास होने पर प्रार्थी व उसके परिवारजन का नाम नामान्तरण खोलते हुए अंकित किया गया था, किन्तु सहवन से व जल्दबाजी में मुझ प्रार्थी राजेश की जगह मुझ पार्थी का घर का नाम राजूलाल पिता घासी अंकित कर दिया गया है, जबकि मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम राजेश है, क्योंकि मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, व शैक्षणिक दस्तावेज में राजेश नाम अंकित है, किन्तु सहवन से उक्त आराजियात पर इन्तकाल खुलते समय जमाबंदी में मुझ प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र घासी दर्ज हो गया है, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवंश हुई है, इसलिए उक्त खाते में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र घासी अंकित किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का नाम गलत होने से प्रार्थी को ऑन लाईन किसान आई.डी. बनवाना है, इसलिए राजस्व जमाबंदी रिकॉर्ड में भी दुरूस्ती कराना आवश्यक है, इस कारण भी यह प्रार्थाना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र घासी किये जाने का आदेश प्रदान कर इंतकाल दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 18.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार राजस्व अभिलेख (वर्तमान जमाबंदी वर्ष 2076–79) के अनुसार प्रार्थी राजूलाल / राजेश के नाम ग्राम मोहना प0ह0 एकलिंगपुरा की खाता संख्या 137 में कुल किता 08 रकबा 7.40है0 में प्रार्थी का नाम राजूलाल पुत्र घासी दर्ज रिकार्ड है। राजूलाल / राजेश के असल दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका (क्रमांक 404405 वर्ष 1999) में प्रार्थी का नाम राजेश दर्ज है। बचपन से ही आस–पडोस मे राजूलाल नाम से पुकारा जाता है। मौतबिरान अनुसार राजूलाल / राजेश दोनो एक ही व्यक्ति है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत बडोदिया के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 137, पुराना 139 की खसरा संख्या 293,

296, 297, 549, 550, 551, 552, 553 कुल किता 08 कुल रकबा 7.4000 हेक्टर भूमि मे प्रार्थी का बचपन का नाम गांव मे राजूलाल है, जबकि प्रार्थी का असल नाम राजेश होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम राजूलाल के स्थान पर राजूलाल उर्फ राजेश करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:—आदेशः—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा—136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की खाता संख्या 137, पुराना 139 की खसरा संख्या 293, 296, 297, 549, 550, 551, 552, 553 कुल किता 08 कुल रकबा 7.4000 हेक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम राजूलाल के स्थान पर राजूलाल उर्फ राजेश दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़